न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/01/2020

तेजवीर सिंह स्व0 श्री राजवीरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत तुहिया पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर जरिये ग्रामविकास अधिकारी।
2. परमानन्द पुत्र स्व0 कबूलचन्द जाति वैश्य निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी खिलाफ नोटिस आदेश दिनांक 12.07.2020
कार्य स्थगन आदेश क्रमांक 18 दिनांक 14.07.2020
अन्तिम नोटिस क्रमांक 22 आदेश दिनांक 24.08.2020
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तुहिया पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर

उपस्थित :–

1–श्री मृगराजसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक अप्रार्थी 2

निर्णय **दिनांक 29.12.2021**

प्रार्थी ने यह निगरानी विरुद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पेश की गई है कि निगरानीकर्त्ता के वाहिद मिलकियती व कब्जे के मकान स्थित ग्राम तुहिया के बजानिव उत्तर 7 फुट 9 इंच चौडाई में सार्वजनिक आम रास्ता है, जिसके दोनों तरफ नालिया बनी हुई है, प्रार्थी के अर्सादराज पुराने रोशनदान, जंगला, मोरी, परनाले बजानिव उत्तर रास्ता आम में निकले हुये है तथा मकान के सहारे नाली भी पूर्व से कायम है। प्रार्थी के पडौसी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वर्तमान ग्राम पंचायत के सरपंच से साज करते हुये चुनाव पेचबंदी के आधार पर उक्त आम रास्ता को निजी गली बतलाते हुये झूठीं शिकायत अप्रार्थी संख्या 1 को प्रस्तुत कर साजिशाना तौर पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थी को पाबंद करने हेतु दिनांक 12.07.2020 को नोटिस एसपील–1 जारी कराया कि अप्रार्थी संख्या 2 की निजी गली कोई दरवाजा, खिडकी, शौचालय टैक का आउटलेट वगै0 नही निकाले जावें व इस सबंध में क्रमांक 18 दिनांक 14.7.2020 को स्थगन आदेश भी जारी कर दिया गया। नोटिस के सबंध में प्रार्थी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 05.08.2020 को जबाब प्रेषित किया कि विवादित रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की निजी गली नही है, बल्कि सार्वजनिक रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद विद्वेषपूर्ण भावना से अन्तिम नोटिस क्रमांक 22 दिनांक 24.08.2020 को इस आशय का जारी किया गया कि पांच दिवस में प्रार्थी के निजी रास्ते में निकाले गये जंगला व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

रोशनदान को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर दे व आदेश की पालना ना करने पर अग्रिम कार्यवाही करने की धमकी दी गई है। जिस पर प्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक दिनांक 30.08.2020 को जबाब पेश कर वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अप्रार्थीगण आपस में साज करते हुए निगरानीकर्त्ता के मकान मे तोडफोड कराने पर आमादा है जिससे व्यथित होकर निगरानी न्यायालय में पेश की गई है। ग्राम विकास अधिकारी तुहिया द्वारा जारी नोटिस व आदेश वास्तविक तथ्यों व राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होने से काबिल खारिजी है। विवादित रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की निजी ना होकर सार्वजनिक रास्ता है जिसमें दोनों ओर नालिया बनी हुई है व मकान के मोरी, परनाले, जंगला, रोशनदान आदि मकान निर्माण के समय कायम है। जिनका प्रार्थी उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मनमाने तरीके से राजनीतिक प्रतिबद्वता से हितबद्व होकर सारी कार्यवाही नाजायज तौर पर की जा रही है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड का अवलोकन करे तो स्पष्ट हो जावेगा कि विवादित रास्ता अप्रार्थी संख्य 2 का निजी ना होकर सार्वजनिक रास्ता है, इसी वजह से दो बार इस सार्वजनिक रास्ता पर खरन्जा का निर्माण कराया जा चुका है। इस गली में बिजली का खम्भा भी लगा हुआ है जिससे सार्वजनिक गली होना पूर्णतया स्पष्ट करता है। प्रार्थी के मकान में मोरी, परनाले, जंगला, रोशनदान आदि पूर्व से ही उपयोग व उपभोग में हो रहे है, जिसके सबंध में कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई आपत्ति तत्सयम से नही की तथा गली को सार्वजनिक होने के कारण ही उसमें अपनी मौन सहमति रखी जाती रही। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नियुक्त मौका मुआयना पंच कमेटी के सदस्य अथवा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नही लिखी गई है बल्कि उक्त वर्तमान सरपंच के भतीजे की लिखी हुई है जो कि उसकी हस्तलिपि से स्पष्ट है जो वोटो की राजनीति विद्वेषभावना से की गई कार्यवाही का स्पष्ट प्रमाण है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके सहयोगी परिवारीजनो द्वारा सार्वजनिक गली के मुहाने पर जबरन गेट लगाकर बंद करने की कोशिश करने प्रार्थी द्वारा दीवानी वाद किया हुआ है जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते / गली को फाटक लगाकर बंद नही करने बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर नोटिस आदेश दिनांक 12.7.2020, कार्य स्थगन आदेश क्रमांक 18 दिनांक 14.07.2020, अन्तिम नोटिस आदेश क्रमांक 22 दिनांक 24.8.2020 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तुहिया सेवर को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र बाबत मैन्टेनिविल न होने निगरानी पेश किया। प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी तेजवीर सिंह ने जो निगरानी न्यायालय हाजा में दिनांक 12.10.2020 को पेश की है वह न्यायालय हाजा में मेन्टेनेविल नही है। ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने जो आदेश क्रमांक / नोटिस दिनांक 12.7.2020 स्थगन आदेश दिनांक 14.7.2020 व 24.8.2020 को दिये गये है उनके विरूद्व निगरानी की सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर राजस्थान पंचायती राज संस्था पुनरीक्षण की शक्तियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

अन्त में अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर निगरानी खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने कोई जबाब पेश नही किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया किन्तु कोई जबाब व बहस नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2021 पर गौर किया। निगरानीकर्त्ता प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत तुहिया पंचायत समिति सेवर जिला भरतपुर के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस/आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की गई है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.139(5) परावि/शिक्षा/2000/294 दिनांक 01.02.2002 के द्वारा पूर्व अधिसूचना जिसके तहत जिला कलक्टर को धारा 97 के अन्तर्गत सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। इस कारण इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से प्रार्थी निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थी का निगरानी मेन्टेनेविल न होने के कारण खारिज की जाती है।

निणर्य आज दिनांक 29.12.2021 को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर